सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 371 राँची ,बुधवार 6 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

27 मई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

19 मई, 2015

संख्या-4/न.वि./नियमावली/101/2015-..1806(अनु0)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (**झारखण्ड अधिनियम** 07, 2012) **की धारा** 590 **की उपधारा (**1) **के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "**झारखण्ड नगरपालिका (निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) नियमावली**, 2015" अधिसूचित करते हैं ।**

2. **यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि से लागू होगा ।**

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड नगरपालिका (निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) नियमावली, 2015

चूँकि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 577 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि नगरपालिका निर्वाचन के प्रत्येक उम्मीदवार जिस तिथि को उसका नाम निर्देशन हुआ है उस तिथि से लेकर उसके निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाने की तिथि तक, उसके या उसके अभिकर्त्ता द्वारा उपगत और प्राधिकृत निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवायेगा और लेखा में ऐसे विवरण शमिल होंगे जैसा विहित किया जाय एवं उक्त व्यय का कुल योग ऐसे अधिकतम सीमा से, जैसा विहित किया जाय, अधिक नहीं होगा, संबंधित प्रावधान हैं;

अतः राज्य सरकार झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 एवं धारा 578 के अंतर्गत, धारा 590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1) यह नियमावली ''झारखण्ड नगरपालिका (निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) नियमावली, 2015'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरुप होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) ;

(2) ''धारा'' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा ;

(3) ''शहरी स्थानीय निकायों'' से अभिप्रेत है नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत, यथा नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित ;

(4) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, नगर विकास विभाग ;

(5) ''उप निर्वाचन'' से अभिप्रेत है आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए किया जानेवाला निर्वाचन ;

(6) ''आयोग'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ट) (243-K) सहपठित 243(य क) (243-ZA) में उल्लिखित एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग ;

(7) ''निर्वाचन व्यय'' से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका निर्वाचन के संबंध में किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय जो उसके नाम निर्देशन होने

और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक (जिसमें ये दोनों तारीखें भी आती हैं) किया गया है;

(8) ''उम्मीदवार'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में सम्यक् रुप से नामांकित किया गया हो या नामांकित किये जाने का दावा करता हो और इसमें वह उम्मीदवार सम्मिलित होगा जो अपने आप को संबंधित निर्वाचन में भावी उम्मीदवार के रुप में पेश करता हो ;

(9) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र ;

(10) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो यथास्थिति झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं एतद् नियमावली, 1960, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं एतद् नियमावली, 1961 में उनके लिए दिया गया है।

3. निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि

(1) नगरपालिका निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवाएगा ;

(2) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से नगरपालिका के विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जा सकेगा ;

(3) निर्वाचन व्यय के लेखा में ऐसी विशिष्टियाँ शामिल होंगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण की प्रक्रिया

(1) नगरपालिका निर्वाचन के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के तत्काल बाद दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण हेतु निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा निर्वाचन व्यय के संबंध में निर्गत किया जाने वाला पत्र (प्रपत्र-1) के साथ एक रजिस्टर (पंजी) (प्रपत्र-2) उपलब्ध कराई जाएगी ;

(2) इस पंजी को निर्गत करते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इसके प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर पृष्ठों की संख्या के संबंध में प्रमाणित किया जाएगा;

(3) उम्मीदवार को रजिस्टर (पंजी) जो प्रपत्र-2 में होगा, हस्तगत कराते समय उससे प्राप्ति रसीद (प्रपत्र-3) ली जाएगी ;

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय का दिन-प्रतिदिन का सही-सही लेखा, ईमानदारी पूर्वक इस रजिस्टर (पंजी) में दर्ज किया जाएगा ;

(5) दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे भाउचर्स, बिल, प्राप्ति रसीद आदि अवश्य प्राप्त की जाएगी तथा उन्हें तिथिवार एवं क्रमानुसार उक्त रजिस्टर (पंजी) में ही संधारित किया जाएगा ।

5. निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन के लेखा के अभिलेख का निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाना

(1) उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखा का रजिस्टर (पंजी) को संबंधित भाउचर्स, बिल, प्राप्ति रसीद आदि के साथ पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित किया जाय, जाँच हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका), राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक या इस कार्य हेतु किसी अन्य पदाधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया गया हो, के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा ;

(2) उप नियम (1) में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर यदि रजिस्टर (पंजी) उपस्थापित नहीं की जाती है तो ऐसी असफलता को उम्मीदवार की ओर से नियम के अनुपालन करने में एक गंभीर चूक माना जाएगा ।

6. निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करना

(1) प्रत्येक उम्मीवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिनों के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) या किसी अन्य पदाधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग प्राधिकृत करे, के पास निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर (पंजी) (प्रपत्र-2) एवं निर्वाचन व्यय का सार विवरणी प्रपत्र-4 में समर्पित करेगा जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रखी गयी लेखा की सच्ची प्रति होगा;

(2) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) या कोई अन्य पदाधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, निर्वाचन व्यय लेखा की जाँच करेगा;

(3) उप नियम (2) में अंकित पदाधिकारी द्वारा उसके पास समर्पित निर्वाचन व्यय का सार विवरणी की एक सूची पन्द्रह दिनों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिसमें वैसे उम्मीदवार का ब्यौरा दर्ज होगा जिन्होंने अपना निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया है तथा जिन्होंने निर्धारित अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा से अधिक व्यय किया है ;

(4) निर्वाचन व्ययों का दिन-प्रतिदिन लेखा रजिस्टर (पंजी) और निर्वाचन व्ययों का सार विवरणी यदि उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किये गये हैं तो उन्हें प्रस्तुत किये जाने से पहले उम्मीदवार द्वारा अभिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा भाउचर्स भी प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे;

(5) प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय प्रपत्र-5 में एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा जिसमें यह उल्लिखित रहेगा कि लेखा रजिस्टर (पंजी) के व्यय मद के किसी कॉलम में यदि शून्य अंकित है तो उसमें उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता

द्वारा कोई व्यय उपगत या प्राधिकृत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी उल्लिखित रहेगा कि सभी विहित मद के निर्वाचन व्यय को लेखा में शामिल कर प्रस्तुत किया गया है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

(6) शपथ पत्र के बिना निर्वाचन व्यय का लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा।

(7) निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार को उसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी जो प्रपत्र-6 में होगा ।

7. निर्वाचन व्यय लेखा के निरीक्षण के लिए सूचना निर्गत किया जाना

(1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अथवा नियम 6 के अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी, उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की तिथि के दो दिन के भीतर अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित सूचना प्रकाशित करेगा ;

(क) वह तिथि जिस दिन लेखा प्रस्तुत की गयी है ;

(ख) उम्मीदवार का नाम, और

(ग) वह समय और स्थान जहाँ ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति दस रुपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निर्धारित किया जाए, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा ।

8. निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का प्रतिवेदन और उस पर राज्य निर्वाचन आयोग का विनिश्चय

(1) किसी नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशीघ्र उस अवधि के अन्दर जैसा राज्य निर्वाचन आयोग विहित करे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में एक प्रतिवेदन जो प्रपत्र-7 में होगा, भेजेगा। इस प्रतिवेदन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में निम्नांकित सूचनाएँ आवश्यक रुप से अंकित रहेगी -

(क) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम;

(ख) क्या ऐसे उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत कर दिया है या नहीं, और यदि प्रस्तुत किया है तो वह तारीख जिस तिथि को ऐसा लेखा प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) क्या उसकी राय में ऐसा लेखा अधिनियम द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर और उस रीति से प्रस्तुत किया गया है या नहीं।

(2) यदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की यह राय है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा अधिनियम एवं नियमावली द्वारा

अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है तो वह अपने प्रतिवेदन के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग को भेजेगा ।

(3) उप नियम (2) के उपबंधों के अन्तर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) आयोग को प्रतिवेदन भेजने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर उसका प्रकाशन करेगा ।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग उप नियम (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् उस पर यथाशीघ्र विचार करेगा और विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा उस समय-सीमा के अन्दर और उस रीति से, जो अधिनियम और नियमावली द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तुत करने में असफल रहा है या नहीं ।

(5) जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन व्यय का लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति से जैसा अधिनियम और नियमावली द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तुत करने में असफल रहा है, वहाँ वह लिखित सूचना द्वारा उम्मीदवार से अपेक्षा करेगा कि वह इसका युक्तियुक्त कारण या औचित्य दाखिल करे कि उसे इस असफलता के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 578 के अधीन क्यों नहीं निरर्हित किया जाय ।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार जिसे उप नियम (5) के अधीन युक्तियुक्त कारण या औचित्य दाखिल करने के लिए अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर इस बारे में लिखित अभ्यावेदन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा और उसी अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले से ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का लेखा भी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को भेजेगा।

(7) जिला निर्वाचन पदाघिकारी (नगरपालिका) ऐसे अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा प्रस्तुत की गई हो तो उसकी प्रति आठ दिन के अन्दर, ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसा वह उनपर करना चाहे, राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजेगा ।

9. निर्वाचन व्यय लेखा संधारण एवं प्रस्तुत करने में असफल होने पर निरर्हता

यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति -

(क) अधिनियम एवं इस नियमावली के अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, और ;

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा, उसे निरर्हित घोषित कर देगा, तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा एवं इसे राजकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

10. आदेश तथा निर्देश जारी करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति

इस नियमावली के अधीन किसी उपबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो इसके किसी उपबंध के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो, और किसी ऐसी विशेष परिस्थिति जिसके बारे में इस नियमावली में कोई उपबंध नहीं हो या

उपबंध अपर्याप्त हो और जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की राय में उपबंध करना आवश्यक हो तो वह विधिसम्मत् आदेश तथा निर्देश जारी कर सकेगा ।

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

प्रपत्र-1
(नियम-4(1) देखिए)

निर्वाचन व्यय के संबंध में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को निर्गत किया जाने वाला पत्र (प्रारुप)

पत्रांक ..... दिनांक.....

सेवा में,

..... (नाम)
..... (पता)
.....

विषयः निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण एवं उसकी सच्ची प्रति दाखिल करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपका ध्यान झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार नगरपालिका निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार, जिस तिथि को उसका नाम निर्देशन हुआ हो, उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक, जिसमें दोनों तिथि भी शामिल है, उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय से जुड़े सभी खर्चों का पृथक और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवाएगा।

2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 578 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार किसी निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के पास निर्वाचन व्यय की विवरणी समर्पित करेगा जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रखी गई लेखा की सच्ची प्रति होगा।

3. यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के पश्चात् किसी कारणवश अस्वीकृत हो गया हो या कोई उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन के पश्चात् नाम-वापसी के समय अपनी उम्मीदवारी

वापस ले लेता है या चुनाव गम्भीरता पूर्वक नहीं भी लड़ता है या चुनाव में नाम मात्र का व्यय करता है तो कानून के प्रावधानों के अनुसार उसे भी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करता है या उस प्रक्रिया तथा समय सीमा के अन्तर्गत दाखिल नहीं करता है जैसा विहित किया गया है तो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 578 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित कर देगा।

5. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 के अनुसार निर्वाचनों के संचालन के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में किसी शंका के उद्भूत होने या कोई अपर्याप्तता महसूस होने की दशा में यथास्थिति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या 1951 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होंगे। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय के लेखा में वे सभी मद शामिल होंगे जो निर्वाचनों के संचालन नियमावली, 1961 के नियम 86 के तहत विहित किए गए है।

6. निर्वाचन व्यय का लेखा संधारित करने हेतु आपको दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (पंजी) (भाग- A, B एवं C), शपथ पत्र का प्रपत्र, निर्वाचन व्यय के लेखा का सार (भाग- I से VI तक) तथा प्राप्ति रसीद का प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके द्वारा दिन-प्रतिदिन के व्यय का हिसाब इसी रजिस्टर (पंजी) में दर्ज करना है, किसी अन्य कागज या पंजी में नहीं। व्यय से संबंधित जितने भी भाउचर्स या बिल हैं उन्हें तिथिवार तथा क्रमानुसार उक्त रजिस्टर (पंजी) के साथ ही संधारित करना है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पष्चात् निर्वाचन व्यय के लेखा का सार भी भाग I से VI में संधारित करना है, जिसका प्रपत्र संलग्न है।

7. प्रतिदिन जो निर्वाचन व्यय होता है उससे संबंधित सभी भाउचर्स, बिल, रसीद आदि अवश्य ही प्राप्त कर लेना है तथा उन्हें क्रमांकित करते हुए दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर के साथ संधारित करना है।

8. आपको उक्त पंजी तथा उसके समर्थन में उपलब्ध बिल, भाउचर्स, रसीद आदि को पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित तिथि को जाँच हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), निर्वाची पदाधिकारी, आयोग के प्रेक्षक या इस कार्य हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करना है। यदि निर्धारित तिथि को जाँच हेतु उक्त रजिस्टर (पंजी) आपके द्वारा उपस्थापित नहीं की जाती है तो यह आपके स्तर से दिन-प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय का लेखा संधारित करने में गंभीर चूक मानी जाएगी। फलतः आपके उपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-1 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

9. निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया जाना है। स्मरण रहे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार इस लेखा को उम्मीदवार द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत किया जाना है। अतः आप उक्त लेखा की सच्ची प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावे उक्त लेखा के साथ लेखा का सार (भाग- I से VI) भी

प्रस्तुत करना है तथा साथ में एक शपथ पत्र भी दाखिल करना है जो किसी प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी या नोटरी के समक्ष लिया गया हो।

10. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार वैसे सभी प्रकार के व्यय या प्राधिकृत व्यय या उपगत व्यय जिसे उम्मीदवार के निर्वाचन में यदि किसी राजनीतिक दल या संस्था या व्यक्तियों का समूह या कोई अन्य व्यक्ति ने किया है तो उस व्यय को भी उम्मीदवार के हित में किया गया व्यय माना जाएगा तथा उक्त व्यय का लेखा भी उम्मीदवार को दाखिल करना है।

11. यदि आप एक ही साथ दो पदों/निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहें है तो आपको दोनों पदों/निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग व्यय का लेखा दाखिल करना है।

12. कृपया सभी अनुलग्नकों सहित इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाए तथा एक प्राप्ति रसीद निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए ।

विश्वासभाजन

निर्वाची पदाधिकारी
महापौर/अध्यक्ष/वार्ड.....

नोटः जो लागू न हो उसे काट दें ।

अनुलग्नक:-

1. दिन-प्रतिदिन लेखा संधारित करने हेतु रजिस्टर (पंजी)
2. निर्वाचन व्यय के लेखा का सार का प्रपत्र
3. शपथ पत्र का प्रपत्र
4. प्राप्ति रसीद का प्रपत्र।

प्रपत्र-2

(नियम-4(1) देखिए)

निर्वाचन व्यय लेखा का रजिस्टर

(भाग-A)

उम्मीदवार द्वारा दिन-प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय का लेखा संधारित करने हेतु पंजी

उम्मीदवार का नाम:
राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई हो तो:
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से चुनाव लड़ा गया:
निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि:
निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम:

कुल व्यय - स्वयं/ प्राधिकृत:

(नाम निर्देशन की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक, इसमें दोनों तिथियाँ सम्मिलित (Inclusive) है)

व्यय की तिथि/वृतांत (Event)	व्यय का स्वरुप			कुल राशि, रुपये में(भुगतान किया हुआ + बकाया)	भुगतान पाने वाले का नाम एवं पता	बिल नं0/ भाउचर न0 तथा तिथि	उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा प्राधिकृत व्यय की राषि	राजनैतिक दल का नाम यदि कोई हो एवं उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यय की राशि	किसी अन्य व्यक्ति/संस्था /निकाय/अन्य के द्वारा व्यय की गई राशि या प्राधिकृत व्यय की राशि (पूरा नाम एवं पता उल्लेख करे)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
	विवरण	मात्रा	दर प्रति नगद							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 के तहत मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा संधारित की गई निर्वाचन व्यय का यह सही लेखा है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(भाग-B)

उम्मीदवार द्वारा दिन-प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय का
लेखा संधारण हेतु Cash Register (कैश रजिस्टर)

उम्मीदवार का नाम:

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई हो तो:

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से चुनाव लड़ा गया:

निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि:

निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम:

कुल व्यय – स्वयं / प्राधिकृत:

(नाम निर्देशन की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक, इसमें दोनों तिथियाँ सम्मिलित (Inclusive) है)

प्राप्ति				**भुगतान**				**अवषेश राशि**	**अभ्युक्ति (यदि कोई हो तो)**
तिथि	उस व्यक्ति/ दल/संस्था/ कोई अन्य का नाम एवं पता जिससे राशि प्राप्त हुई है	प्राप्ति रसीद संख्या	राशि	बिल / भाउचर नं0 एवं तिथि	भुगतान पाने वाले का नाम	व्यय का स्वरुप	राशि	वह स्थान या व्यक्ति जिसके पास अवशेष राशि रखी गई है (यदि नकद राशि एक से अधिक स्थान या व्यक्ति के पास रखी गई है तो उनका नाम एवं अवशेष राशि)	कोई खर्च जो स्तम्भ 7 में दर्ज है परन्तु भाग-A के स्तम्भ 2 में दर्ज नहीं है, के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया जाना है।
	2			5	6	7		9	10

प्रमाणित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 के तहत मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा संधारित की गई निर्वाचन व्यय का यह सही लेखा है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(भाग-C)

उम्मीदवार द्वारा दिन-प्रतिदिन का लेखा संधारण हेतु बैंक रजिस्टर

उम्मीदवार का नाम:

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई हो तो:

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से चुनाव लड़ा गया:

निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि:

निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम:

बैंक का नाम:

शाखा का नाम:

खाता संख्या:

कुल व्यय - स्वयं/ प्राधिकृत:

(नाम निर्देशन की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक, इसमें दोनों तिथियाँ सम्मिलित (Inclusive) है)

जमा				**भुगतान**				**अवशेष**	**अभ्युक्ति (यदि कोई हो तो)**
तिथि	उस व्यक्ति/ संस्था /दल या कोई अन्य का नाम एवं पता जिससे राशि प्राप्त हुई है या बैंक में जमा की गई है	नकद या चेक नं0, बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	चेक नं0	भुगतान पाने वाले का नाम	व्यय का स्वरुप	राशि	वह स्थान या व्यक्ति जिसके पास अवशेष राशि रखी गई है (यदि नकद राशि एक से अधिक स्थान या व्यक्ति के पास रखी गई है तो उनका नाम एवं अवशेष राशि)	कोई खर्च जो स्तम्भ 7 में दर्ज है परन्तु भाग-A के स्तम्भ 2 में दर्ज नहीं है, के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया जाना है।
	2							9	10

प्रमाणित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 के तहत मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा संधारित की गई निर्वाचन व्यय का यह सही लेखा है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-

1. इस रजिस्टर का रख-रखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए एवं यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) / निर्वाची पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अध्यधीन होगा ।

2. यह रजिस्टर, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 577 एवं धारा 578 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को सच्ची प्रति सौपा जाएगा। इसके साथ विहित प्रपत्रों में निर्वाचन व्ययों के सार विवरणी और शपथ-पत्र अवश्य अनुलग्न होना चाहिए। कोई भी व्यय की विवरणी, निर्वाचन व्ययों के सार विवरण एवं शपथ पत्र के बिना पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

3. केवल उन मदों के भाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86 (2) में सूचीबद्ध है, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इस नियम के द्वारा कोई भाउचर संलग्न नहीं किया जाता है तो विहित रजिस्टर में इस प्रभाव से यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि अपेक्षित भाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य क्यों नहीं था ।

4. लेखा तथा सार विवरणी यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उम्मीदवार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उम्मीदवार द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गए लेखा की सही प्रति है ।

5. उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा सीधे उपगत अथवा प्राधिकृत व्ययों के अलावा, उम्मीदवार के निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दल, अन्य संगठन, व्यक्तियों के निकायों, व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी व्यय को लेखा में शामिल किया जाना अपेक्षित है ।

6. यदि उपर्युक्त स्तम्भ 2 और 3 में प्रदर्शित किसी मद पर व्यय किसी राजनैतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के निकाय/कोई व्यक्ति (उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त) द्वारा उपगत या प्राधिकृत है तो स्तम्भ 7 और 8 में उसका नाम एवं पूरा पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

7. उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ 2 और 3 में निर्दिष्ट कुल व्यय में, सभी नकद व्यय और उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार से प्राप्त सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए ।

8. इस रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार सफेद पृष्ठों के भाग-A में दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, गुलाबी पृष्ठों के भाग- B में यथा उल्लिखित नकद राशि रजिस्टर, तथा पीले पृष्ठों के भाग-C में बैंक रजिस्टर शामिल होना चाहिए ।

प्रपत्र-3

(नियम-4(3) देखिए)

प्राप्ति रसीद

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी

महाशय,

निर्वाचन व्यय के संधारण हेतु मैंने आपके पत्र संख्या..... दिनांक..... के अनुलग्नकों एवं अन्य कागजातों के साथ एक रजिस्टर (पंजी) जिसका क्रमांक ..... है, प्राप्त किया।

निर्वाचन व्यय के लेखा संधारण तथा उक्त लेखा की सच्ची प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के समक्ष दाखिल करने हेतु विधि के अन्तर्गत जो भी अपेक्षाएँ हैं उनसे मैं अवगत हो गया हूँ।

आपका विश्वासी

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

तिथि सहित

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्रपत्र-4

(नियम-6(1) देखिए)

निर्वाचन व्यय का सार विवरणी

पार्ट-**I**

1.	उम्मीदवार का नाम	:	
2.	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	:	
3.	निर्वाचन का स्वरुप	:	उप निर्वाचन/आम निर्वाचन
4.	निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि	:	
5.	निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम एवं पता	:	

पार्ट- **II**

1.	क्या आप किसी राजनैतिक दल के उम्मीदवार हैं	:	हाँ/ नहीं
2.	यदि हाँ तो दल का नाम	:	
3.	क्या दल मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है	:	हाँ/ नहीं
4.	यदि मान्यता प्राप्त दल है तो	:	राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय दल है
5.	क्या आपके निर्वाचन हेतु आपके दल ने स्वयं व्यय किया या व्यय हेतु किसी को प्राधिकृत किया	:	हाँ/ नहीं
6.	क्या आपके निर्वाचन हेतु किसी दूसरे संस्था/निकाय या व्यक्ति ने खर्च किया है या खर्च हेतु किसी को प्राधिकृत किया	:	हाँ/ नहीं
7.	यदि हाँ तो उसका नाम एवं पूरा पता	:	(i) (ii) (iii)

पार्ट-**III**

खर्च का मद		स्वयं या प्राधिकृत खर्च			कुल खर्च (2+3+4)
		उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा	**किसी राजनैतिक दल द्वारा**	**किसी अन्य संस्थानिकाय / या व्यक्ति द्वारा**	
1		**2**	**3**	**4**	**5**
		रु0	**रु0**	**रु0**	**रु0**
1	आम सभा, रैली, जुलुस आदि				
2	प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, पम्पलेट, विडियो, ऑडियो सी0डी0, लाउडस्पीकर आदि				
3	उपयोग में लाए गए वाहनों की संख्या तथा उन पर हुए खर्च				
4	गेट, बैनर, कटआउट, मेहराव आदि लगाने का खर्च				
5	मिडिया (प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक) द्वारा प्रचार पर खर्च				
6	किसी राजनैतिक दल के नेता द्वारा उम्मीदवार के प्रचार हेतु आने पर तथा उसके वाहन पर खर्च				

7	राजनैतिक दल के अन्य कार्यकर्त्ता पर आया खर्च				
8	उम्मीदवार के कार्यकर्त्ताओं पर चुनाव प्रचार में आया खर्च				
9	अन्यान्य खर्च				

एक मुश्त अनुदान की प्राप्ति, यदि कोई हो तो

1	किसी राजनैतिक दल से	
2	किसी निकाय या संस्था से (नाम एवं पता सहित)	
3	किसी अन्य व्यक्ति से (नाम एवं पता सहित)	

पार्ट-**IV**

वाहनों के उपयोग पर खर्च का ब्यौरा

वाहन का निवंधन संख्या	वाहन का प्रकार	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत वाहन परमिट संख्या	किराए पर लेने का दर			वाहन उपयोग के दिनों की संख्या	कुल खर्च की गई राशि	कालम 6 का पृथक-पृथक ब्यौरा		
			किराए पर लेने का दर/ रखरखाव	ईन्धन पर हुए खर्च (यदि किराये में ईंधन खर्च शामिल नहीं है तो)	वाहन चालक पर हुआ खर्च (यदि किराया में शामिल नहीं है)			अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किया गया खर्च	किसी राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन पर किया गया खर्च	किसी व्यक्ति / संस्था या निकाय द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन पर किया गया खर्च
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9
कालम 6 का कुल योग ..... (रुपये में)										

नोटः

1. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत वाहन परमिट की प्रति की सूची बनाकर संलग्न करें।
2. आम सभा, रैली, जुलुस में शामिल वाहनों को भी इसमें शामिल करें।
2. यदि निर्वाचन कार्य हेतु उम्मीदवार का स्वंय का वाहन, उसके सम्बंधी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता का वाहन प्रयोग में लाया गया है तो उम्मीदवार के वाहन को छोड़ कर अन्य वाहनों पर न्युनतम दर के आधार खर्च का आकलन किया जाएगा तथा कालम 6 में कुल व्यय में जोड़ दिया जाएगा ।

पार्ट-V

आम सभा/रैली पर हुए खर्च का ब्यौरा

इस प्रपत्र में वैसे सभी आम सभा / रैली / जुलुस पर हुए खर्च का ब्यौरा अंकित किया जाएगा जो उम्मीदवार / उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता / कोई राजनैतिक दल / कोई अन्य संस्था / संगठन निकाय / कोई अन्य व्यक्ति जो उम्मीदवार के बदले खर्च किया हो)

रैली/ जुलूस/ आम सभा की कुल संख्या.....

कुल व्यय (रुपये में).....

आम सभा / रैली की तिथि	आम सभा/ रैली का स्थान एवं पता	उस प्रधिकारी का नाम जिससे अनुमति प्राप्त की गई है (पत्र संख्या एवं तिथि सहित)	आम सभा / रैली / जुलुस पर हुए खर्च विवरण	मात्रा	दर प्रतिनगद	कुल राशि	उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किया गया खर्च की राशि	किसी उम्मीदवार दल द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन के सम्बंध में किया गया खर्च (दल का नाम सहित)	किसी अन्य / संस्था निकाय या व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के लिए किया की गया खर्च राशि
1	2	3	4		6	7	8	9	10

पार्ट-**VI**

किसी राजनैतिक दल के नेता द्वारा उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के संदर्भ में यात्रा पर हुए खर्च का ब्योरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम संख्या	नेता का नाम	निर्वाचन क्षेत्र में आगमन की तिथि	यात्रा का साधन (Mode)	भाड़े पर किया गया खर्च (यदि ज्ञात हो तो)	निर्वाचन क्षेत्र में ठहरने की अवधि	स्थानीय यात्राओं पर खर्च	निर्वाचन क्षेत्र से प्रस्थान की तिथि	यात्रा का साधन (Mode)	यात्रा पर किए गए खर्च (यदि ज्ञात होतो)	क्या कण्डिका (5), (7) एवं (10) पर किया गया व्यय उम्मीदवार द्वारा या राजनैतिक दल द्वारा या किसी अन्य द्वारा किया गया है?उल्लेख करें -	यदि कण्डिका (5), (7) एवं (10) पर उम्मीदवार द्वारा खर्च का वहन किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1
2
3
4
5
etc
कुल खर्च:

स्थान: .....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

तिथि: .....

उम्मीदवार का नाम

प्रपत्र-5

(नियम 6(5) देखिए)

शपथ पत्र का प्रारुप

.....(प्रादेशिक/निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के समक्ष .....(जिला)

श्री..... सुपुत्र..... का शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... आयु..... वर्ष, पता..... का निवासी एतद्द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ:-

(1) कि मैं..... नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के लिए आम निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार था, जिनका निर्वाचन परिणाम दिनांक .....को घोषित किया गया था।

(2) कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक..... (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने और मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता ने उपगत या प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

(3) कि उक्त लेखा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर (पंजी) में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर में ही उक्त लेखा में उल्लिखित भाउचर/बिल के साथ इनमें संलग्न है।

(4) कि निर्वाचन के संबंध में संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता, मुझे समर्पित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें भी इसमें शामिल है एवं कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

(5) कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के प्रपत्र-4 में संलग्न सार विवरणी में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता, मुझे समर्पित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।

(6) कि उपरोक्त कण्डिका (1) से (5) में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा कोई गलती नहीं है एवं किसी भी सामग्री को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 2001..... के इस..... दिन में.....द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/ शपथ ली गई)
(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

प्रपत्र-6

(नियम 6(7) देखिए)

प्राप्ति रसीद

निर्वाचन व्यय का लेखा जो ..... (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र संख्या) से संबंधित हैं तथा जिसका निर्वाचन परिणाम ..... (तिथि) को घोषित हुआ है, ... (उम्मीदवार का नाम) द्वारा स्वयं या उनके बदले ..... (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) ने आज दिनांक ..... को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसे मैंने प्राप्त किया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/प्राधिकृत पदाधिकारी
जिलाः.....

प्रपत्र-7

(नियम-8(1) देखिए)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का जाँच प्रतिवेदन

(भाग-1)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की जाँच रिपोर्ट में उम्मीदवार का क्रम संख्या:.....

जिला का नाम: नगरपालिका:

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 एवं 578 के अधीन नगरपालिका के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन व्यय दाखिल करने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की उम्मीदवार (नगरपालिका) क्षा रिपोर्टवार संवी			
(उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत लेखे तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कोई विसंगति होने पर सभी रजिस्टरों तथा एकत्रित साक्ष्यों की सभी प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ भेज देनी चाहिए।			
क्र0 सं0	**विवरण**	**जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा (नगरपालिका)भरा जाए**	
1	उम्मीदवार का नाम एवं पता		
2	निर्वाचनप्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र / का नाम एवं सं0		
3	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम		
4	परिणाम घोषणा की तारीख		
5	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख		
6	उम्मीदवार द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख		
7(क)	क्या उम्मीदवार द्वारा दाखिल लेखा निर्धारित प्रपत्र में हैं (हाँ या नहीं)		
(ख)	जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र में पाई (नगरपालिका)	पंक्ति के सामने चिन्हित करें	विसंगतियों के ब्यौरो पर संक्षिप्त नोट

	गई विसंगतियाँ		
(i)	सार विवरण विधिवत रुप से नहीं भरा गयार किया गयाहस्ताक्ष/		
(ii)	उम्मीदवार के शपथ पत्र में विधिवत रुप से शपथ दाखिल नहीं की गई		
(iii)	उम्मीदवार के बैंक रजिस्टर तथा रोकड़ रजिस्टर सहित दैनिक लेखा के रजिस्टर पर विधिवत रुप से हस्ताक्षर नहीं किए गए।		
(iv)	निर्वाचन व्यय की मदों के संबंध में भाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए / उम्मीदवार तथा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।		
(v)	निर्वाचन व्यय के लिए बैंक लेखों के विवरण की स्वप्रमाणित प्रति - प्रस्तुत नहीं की गई		
(vi)	उपरोक्त बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए सभी रसीदें जमा नहीं कराई गईं तथा छूटकर व्ययों के अतिरिक्त सभी भुगतान चेक द्वारा नहीं किए गए।		
8	उम्मीदवार द्वारा दाखिल लेखा का सार विवरणी के भाग ।।। में-यथा उल्लिखित उम्मीदवार द्वारा		

	निर्वाचन व्यय का कुल योग	
9(क)	क्या उम्मीदवार द्वारा सूचित व्यय की मदें छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर में दिखाए व्ययों से मेल खाती है (हां या नहीं)	
(ख)	यदि नहीं, तो ऐसे ब्यौरें भरें जहाँ उम्मीदवार द्वारा व्यय कम बतायाउल्लेख नहीं किया गया।/	

	व्यय की मदें	**तारीख**	**छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या**	**साक्ष्य के साथ छाया प्रेक्षण रजिस्टर के अनुसार राशि का उल्लेख करें**	**उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत लेखे के अनुसार राशि**	**उम्मीदवार द्वारा कम बताई गई राशि**
	योग					
10 (क)	क्या उम्मीदवार ने प्रेक्षकनिर्वाची पदाधिकारी / द्वारा प्रचार अवधि के दौरान3 बार निरीक्षण के लिए निर्वाचन व्यय का रजिस्टर प्रस्तुत किया है (हाँ या नहीं)					
(ख)	क्या प्रेक्षक द्वारा रजिस्टर के निरीक्षण के समय उम्मीदवार को विसंगति इंगित की गई थी? यदि हां तो विसंगति का उल्लेख करें।					
(ग)	क्या उम्मीदवार को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा व्यय में विसंगति के संबंध में नोटिस जारी किया गया था? कृपया विसंगति की तारीख और प्रकृति का उल्लेख करें।					

(घ)	क्या उम्मीदवार ने नोटिस का कोई जवाब दिया कृपया नोटिस तथा प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति) (संलग्न करें			
11	क्या जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) त है कि उम्मीदवार द्वारा व्यय इस बात से सहम (हाँ या नहीं) सही रुप से बताया गया है			
12	लेखा का सार विवरणी के भाग ।।। में-उल्लिखित किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा उम्मीदवार को नकद या चेक में दी गयी एक मुश्त राशि तथा पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें।			
13	उम्मीदवार को किसी अन्य व्यक्तिहस्ती द्वारा दी / पार्टी के नाम का भी उल्लेख /गयी एकमुश्त राशि करें।			
14	क्या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता या उसके कार्यकर्त्ता या उम्मीदवार से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में धन, अन्न या अन्य मदों के वितरण का मामला सामने आया है। कृपया तारीख तथा व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें।			
	मोहर: तारीख:	हस्ताक्षर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम		

मद संख्या 9(ख) के लिए नोट:

1. कृपया उन महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करें जहां छाया प्रेक्षण रजिस्टर की तुलना में निर्वाचन व्यय कम बताया गया है।

2. यदि व्यवहार्य हो तो कृपया व्यय के मदवार ब्यौरे के लिए अलग अनुलग्नक लगाएं।

व्यय प्रेक्षक द्वारा टिप्पणी, यदि कोई है,

तारीख: व्यय प्रेक्षक का हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा टिप्पणी सहित राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित (यदि कोई है)
तारीख: जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर (नगरपालिका)

***यदि व्यय प्रेक्षक के पास ऐसे कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया तो वह इस संबंध में अलग नोट संलग्न करें।**

****यदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) कोई अतिरिक्त टिप्पणी करना चाहे तो वह टिप्पणी अलग से अग्रेषित कर सकता/सकती है।**

(भाग-2)

उम्मीदवारों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की संक्षिप्त प्रतिवेदन

(क) नगरपालिका निर्वाचन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम:

(ख) उम्मीदवारों की कुल संख्या:

(ग) नगरपालिका और जिला:

(घ) आम निर्वाचन/उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:

(ड.) लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:

(च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम:

क्र0 सं0	उम्मीदवार का नाम	लेखा प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख	उम्मीदवार द्वारा लेखा प्रस्तुत करने की तारीख	क्यानिर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत किया गया है (हाँ या नहीं)	उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा प्राधिकृत / उपगत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग –III में उल्लेखित है)	क्या उम्मीदवार द्वारा व्यय की सभी मदों के सम्मुख दिखाई गई राशि से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सहमत है?	किसी पार्टी द्वारा उपगत कुल व्यय (जैसा कि सार-विवरण के भाग –III में उल्लेखित है)		उम्मीदवार / हस्तियों द्वारा किये गए व्यय का योग (जैसा कि सार-विवरण के भाग –III में रिपोर्ट किया गया है		व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
								किसी दल द्वारा उम्मीदवार को दिया गया नकद या चैक की एकमुश्त राशि	किसी राजनीतिक दल द्वारा इसी प्रकार के अन्य व्ययों का योग	उम्मीदवार को दी गई नकद / चैक की एक मुश्त राशि और नाम का उल्लेख करें।	उम्मीदवार के लिए उपगत इस प्रकार के अन्य व्ययों का कुल योग	

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
का हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, (यदि कोई हो)

तिथि..... व्यय प्रेक्षक का हस्ताक्षर

प्रति- राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 371—50 +300 ।